

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी अंतर्गत ₹ 14258.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,42,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 2

कृषि पम्पों के ऊर्जाकरण हेतु ₹ 3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 3

सौर ऊर्जा के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अविद्युतीकृत ग्रामीण मजराटोला/बसाहटों के सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण हेतु ₹ 2000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सौर सुजला योजना के लिए नाबार्ड मद में सोलर पम्प हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 2018.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।